राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—3447/2022

सविता (कर्मचारी आईडी— आरजेबीएम200905007367)

—अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.09.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री जावेद अहमद, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ए.एन.एम. के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 17.08.2022 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/ पदस्थापन सबसेंटर धिन्धवा आथुना जिला झुंझुनू से अति. एएनएम मुख्यालय सेडवा, जिला जैसलमेर में किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, परन्तु पंचायतीराज विभाग की सहमति नहीं ली गयी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2022 को अपास्त किया जावें।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के नियम 8(iii) के नियमों के उल्लंघन में है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा मंत्री मंडल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः प. 11(1)मं.मं./2018 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा सरकार ने विभागों का विस्तार व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्रियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार चूंकि स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, ऐसे में जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री के पास ही है, तो प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है।
6. माननीय उच्च न्यायालय ने एसबीसीडब्ल्यू नंबर 8828/2022 रवीन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 स्थानांतरण आदेश मंत्री महोदय के स्तर से अनुमोदित हो, उसमें नियम 8(iii) का उल्लंघन होना नहीं माना है।
7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतदद्वारा खारिज किया जाता है।
9. आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)